सं०सं०—5 बजट (1) 36/2026 ..15 रा0(वि0)

झारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(पशुपालन प्रभाग)

प्रेषक,

अबुबक्कर सिद्दीख पी0, भा0प्र0से0
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार
झारखण्ड, रॉंची।

द्वाराः— आन्तरिक वित्तीय सलाहकार।

रॉंची/दिनांक 23.06.26

विषय— वित्तीय वर्ष 2026—27 में मॉंग संख्या—53—कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) में राज्य योजना तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मो0 7282.9524 लाख (बहत्तर करोड़ बिरासी लाख पन्चानवे हजार दो सौ चालीस) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना कियान्वयन की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2026—27 में तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन में उपलब्ध बजट उपबंध मो0 6400.00 लाख रु0 तथा मुख्य शीर्ष—4405—मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय में उपलब्ध बजट उपबंध मो0 7200.00 लाख रु0 अर्थात् कुल मो0 13600.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मुख्य शीर्ष—2405—मछली पालन में मो0 6324.9449 लाख तथा मुख्य शीर्ष—4405—मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय में मो0 958.0075 लाख अर्थात् कुल मो0 7282.9524 लाख (बहत्तर करोड़ बिरासी लाख पन्चानवे हजार दो सौ चालीस) रुपये मात्र की अनुमानित लागत पर व्यय एवं योजना क्रियान्वयन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. यह राज्य योजना चालू प्रकृति की अम्ब्रेला योजना **(Umbrella Scheme)** है जिसमें तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना के अतिरिक्त फीड बेस्ड फिशरीज योजना, मत्स्य बीज हैचरी का अधिष्ठापन योजना, केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण योजना, समेकित मत्स्य पालन योजना तथा बायोफ्लॉक तालाब निर्माण योजना भी सम्मिलित हैं। इसके अंतर्गत विभागीय मत्स्य बीज वितरण, मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति, पोर्टेबल हैचरी एवं विभागीय हैचरियों से स्पॉन उत्पादन, जलाशयों एवं नदियों के छाड़न में in-situ स्पॉन संचयन, जलाशयों में मेजर कार्प तथा ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन, तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के कय में सहायता, पूर्व अधिष्ठापित केजों तथा विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc Tank/Biofloc Pond में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels एवं अन्य उपयुक्त बीज का संचयन, पुराने आर0एफ0एफ0 हेतु इनपुट, नए आर0एफ0एफ0 का अधिष्ठापन, अनुदान पर ग्रो—आउट नेट, गिल—नेट, मोटरचालित नाव, केज हाउस का अधिष्ठापन, केज रिपेयरिंग, मछली—सह—बत्तख पालन, मछली उत्पादन में बढ़ोत्तरी (फीड बेस्ड फिशरीज) के लिए मत्स्य कृषकों को अतिरिक्त मछली के उत्पादन हेतु अनुदान पर फ्लोटिंग फीड उपलब्ध कराने के साथ ही रॉंची, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो, धनबाद एवं सरायकेला जिले में स्थापित फिश फीड फैक्टरी हेतु

आवश्यकता अनुसार संचालन, केज अधिष्ठापन, इनपुट, फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन, केज रिमॉडलिंग, इनपुट सहित बायोफ्लॉक तालाब निर्माण आदि कार्य किए जायेंगे।

3. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि मो0 7282.9524 लाख (बहत्तर करोड़ बिरासी लाख पन्चानवे हजार दो सौ चालीस) रुपये मात्र की निकासी निम्नांकित बजट शीर्ष से की जाएगी :–

माँग संख्या–53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) (राशि लाख रू0 में)

मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(क)	**लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050010106010317**	30.00	30.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050010106010323**	2600.00	2599.99595	0.00405
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050010106010329**	25.00	0.00	25.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050010106010337**	25.00	25.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050010106010543**	24.00	24.00	0.00
6	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050010106010759**	25.00	25.00	0.00
	उप योग:	**2729.00**	**2703.99595**	**25.00405**
(ख)	**लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050078906010323**	810.00	809.97185	0.02815
	उप योग:	**810.00**	**809.97185**	**0.02815**
(ग)	**लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना**			
1	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण **53S24050079606010317**	20.00	20.00	0.00
2	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री **53S24050079606010323**	2700.00	2699.9771	0.02290
3	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–29–व्यवसायिक सेवाएँ **53S24050079606010329**	25.00	0.00	25.00
4	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय **53S24050079606010337**	20.00	20.00	0.00
5	विस्तृत शीर्ष–04–मोटरगाड़ियाँ/ईंधन–40–नई मोटरगाड़ी का क्रय **53S24050079606010440**	25.00	0.00	25.00
6	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) **53S24050079606010543**	48.00	48.00	0.00
7	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय **53S24050079606010759**	23.00	23.00	0.00
	उप योग:	**2861.00**	**2810.97710**	**50.02290**
	योग (मुख्य शीर्ष–2405) :	**6400.00**	**6324.9449**	**75.05510**

मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना

क0	लघु शीर्ष /विस्तृत शीर्ष	बजट उपबंध	स्वीकृत राशि	अवशेष राशि
(घ)	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली–पालन			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S44050010172010544**	150.00	65.67	84.33
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050010172010545**	950.00	223.00	727.00
	उप योगः	**1100.00**	**288.67**	**811.33**
(ड़)	लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S44050078972010544**	40.00	38.6725	1.3275
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050078972010545**	280.00	192.00	88.00
	उप योगः	**320.00**	**230.6725**	**89.3275**
(च)	लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
1	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार **53S44050079672010544**	210.00	85.6650	124.3350
2	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य **53S44050079672010545**	5570.00	353.00	5217.00
	उप योगः	**5780.00**	**438.6650**	**5341.3350**
	योग (मुख्य शीर्ष–4405) :	**7200.00**	**958.00750**	**6241.99250**
	कुल योग (मुख्य शीर्ष– 2405 + 4405) :	**13600.00**	**7282.95240**	**6317.04760**

कुल मो0 7282.9524 लाख (बहत्तर करोड़ बिरासी लाख पन्चानवे हजार दो सौ चालीस) रु0 मात्र।

4. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची/पश्चिमी सिंहभूम/पूर्वी सिंहभूम/गुमला/लोहरदगा/पलामू/गढ़वा/दुमका/साहेबगंज/गोड्डा/धनबाद/बोकारो/हजारीबाग/गिरिडीह/देवघर/चतरा तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसॉवा/सिमडेगा/लातेहार/जामताड़ा/पाकुड़/रामगढ़/खूँटी/कोडरमा तथा मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची एवं सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची होंगे जो दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के संलग्न विवरणी के अनुरुप राशि की निकासी दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे। इस योजना अंतर्गत स्वीकृत राशि से संलग्न परिशिष्ट–I, II, III, IV, V, VI, VII एवं VIII में उल्लेखित भौतिक लक्ष्यों एवं वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप ही राशि व्यय की जाएगी।

5. योजना के नियंत्री पदाधिकारी राज्य स्तर पर निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, रॉची होंगे एवं योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग होंगे।

<u>तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार –</u>

6. इस योजना में विभागीय प्रक्षेत्रों में कुल 2500 लाख मत्स्य बीज का उत्पादन मो0 9000/– (नौ हजार) रु0 प्रति लाख मत्स्य बीज की अनुमानित दर पर किया जायेगा। लघु शीर्ष–789 में उत्पादित 300 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 240 लाख मत्स्य बीज, लघु शीर्ष–796 में उत्पादित 1310 लाख मत्स्य बीज का 80 प्रतिशत् अर्थात् 1048 लाख मत्स्य बीज एवं लघु शीर्ष–101

में उत्पादित बीज 890 लाख का 80 प्रतिशत् अर्थात् 712 लाख मत्स्य बीज अर्थात् कुल 2000 लाख मत्स्य बीज मो0 10,000/– (दस हजार) रु0 प्रति लाख की दर से बिक्री कर मो0 200.00 लाख (दो करोड़) रु0 का राजस्व प्राप्त किया जायेगा।

शेष 500 लाख मत्स्य बीज अनुदान पर वैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा, जो नगद राशि पर मत्स्य बीज का क्रय किए हों। अस्सी हजार मत्स्य बीज क्रय करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के मत्स्य कृषकों को बीस हजार मत्स्य बीज शत्–प्रतिशत् अनुदान पर देय होंगे। यह अनुपातिक रुप से जिलावार इस कोटि के लक्ष्य के अधीन होगा।

7. निजी क्षेत्र के प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों के द्वारा कुल 422.75 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कुल 1691 करोड़ मत्स्य स्पॉन प्रशिक्षित (चालू अथवा विगत् वर्ष में विभाग से प्रशिक्षित) मत्स्य बीज उत्पादकों को सरकारी तथा गैर सरकारी हैचरी से अधिकतम 550/–रु0 प्रति लाख स्पॉन की अनुमानित दर से उत्पादन/जिला स्तरीय निविदा द्वारा क्रय कर आपूर्ति करने की योजना है। आपूर्ति किये जाने वाले स्पॉन के मूल्य का 90 प्रतिशत व्यय का वहन सरकार द्वारा तथा 10 प्रतिशत मूल्य का वहन लाभुक मत्स्य बीज उत्पादक द्वारा किया जायेगा। समान मूल्य दर पर स्थानीय हैचरी संचालकों को प्राथमिकता दी जायेगी। स्थानीय हैचरियों को क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से कुल निर्धारित लक्ष्य का कम से कम 10 % स्थानीय हैचरी से (जिस जिला में स्थानीय हैचरी नहीं है वह समीपस्थ जिला जहाँ स्थानीय हैचरी है, से अधियाचना करेंगे) आपूर्ति की जाएगी। राज्य के पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से 228 करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन तथा विभागीय हैचरियों के रख–रखाव (ब्रूडर तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं इनसे 79 करोड़ मत्स्य स्पॉन का उत्पादन किया जाएगा। प्रति करोड़ मत्स्य स्पॉन उत्पादन हेतु अधिकतम 40,000/– रु0 की दर से अथवा वास्तविक व्यय जो कम हो, का व्यय किया जाएगा। पोर्टेबल हैचरी से उत्पादित स्पॉन की बिक्री से प्राप्त आय संबंधित हैचरी संचालक समूह के बैंक खाते में जमा होगी ताकि इस समूह के हैचरी कार्य से इन्हें स्थानीय रोजगार उपलब्ध हो सके। अवशेष राशि हैचरी के रख–रखाव एवं अगले चक्र हेतु उपयोग की जायेगी। विभागीय हैचरियों में ब्रूडर की व्यवस्था, रख–रखाव आदि के लिए प्रति हैचरी मो0 1.00 लाख रु0 मात्र अतिरिक्त कर्णांकित है।

पायलट प्रोजेक्ट के रुप में राज्य में विभागीय स्तर पर पंगेशियस मत्स्य बीज हैचरी का संचालन मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची के द्वारा उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) अथवा निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के मार्गदर्शन में किया जाएगा। विभागीय हैचरी के रख–रखाव एवं स्पॉन उत्पादन के तहत् ही राशि का व्यय किया जायेगा।

7500 मत्स्य बीज उत्पादकों को मत्स्य स्पॉन से मत्स्य बीज की तैयारी, निकासी एवं बिक्री हेतु 2000/–रु0 का फैक्ट्री फॉरमूलेटेड एक्सट्रूडेड मैश फीड (Factory Formulated Extruded Mash Feed) दिया जायेगा, साथ ही जाल आदि के क्रय पर अधिकतम् 2000/–रु0 अनुदान प्रति बीज उत्पादक की दर से झास्कोफिश, राँची के द्वारा आपूर्ति की जाएगी। झास्कोफिश, राँची से अनुपलब्धता की स्थिति में GeM / जिला स्तर पर निविदा आमंत्रित करते हुए उपलब्ध कराया जायेगा।

8. (क) मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों के माध्यम से जलाशयों में in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 800/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा। चयनित स्थल, संचित किये गये स्पॉन, की गई आवश्यक तैयारी तथा फोटोग्राफ्स आदि से संबंधित अभिलेख तैयार करने की जिम्मेवारी संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। इस कार्यक्रम के भौतिक

आँकड़ों/उपलब्धियों का अंकन अभिलेख का आवश्यक अंग होगा। स्थल चयन मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के सक्रिय सदस्यों/बीज उत्पादकों तथा संबंधित क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रुप से की जाएगी एवं उसका भी ब्यौरा अभिलेख में संधारित किया जायेगा। इसीप्रकार नदियों में भी in-situ मत्स्य बीज का उत्पादन/संचयन कराया जायेगा। इस पर प्रति लाख स्पॉन से मत्स्य बीज के उत्पादन पर अधिकतम मो0 700/– रु0 मात्र की अनुमानित दर से विभागीय रुप से व्यय किया जायेगा।

(ख) जिला मत्स्य पदाधिकारी अपने जिले के जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन के प्राप्त भौतिक लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर बड़े जलाशयों, मध्यम जलाशयों एवं छोटे जलाशयों में संचयन हेतु विभाजित करेंगे तथा सुनिश्चित करेंगे कि अधिक से अधिक जलाशयों में समानुपातिक रुप से अंगुलिकाओं का संचयन संभव हो। उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) अथवा निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा जलाशयों में मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन हेतु आवश्यक संख्या का अनुमोदन किया जाएगा। निदेशक मत्स्य द्वारा जलाशयों में अंगुलिकाओं के ससमय संचयन हेतु आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत किया जायेगा।

(ग) पुराने आर0एफ0एफ0 में इनपुट्स (यथा मत्स्य बीज, पूरक आहार आदि) हेतु संलग्न परिशिष्टों में अंकित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप प्रति यूनिट अधिकतम 25,000/– रु0 अथवा वास्तविक व्यय, जो भी कम हो, की दर से कार्य संपादित किए जायेंगे तथा अनुदान की राशि लाभुक/लाभुक समूह के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) जलाशयों/नदियों के छाड़न हेतु स्पॉन का क्रय GeM / जिला स्तर पर निविदा के माध्यम से प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

(ङ•) इस योजना अंतर्गत निजी क्षेत्र के तथा बंदोबस्त सरकारी तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु स्थानीय स्तर पर उत्पादित मत्स्य अंगुलिका के क्रय में 50 प्रतिशत सहायता अर्थात् अधिकतम 1875/– रु0 प्रति एकड़ औसत जलक्षेत्र (लगभग 5000 बीज प्रति एकड़) हेतु अनुदान डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा। लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त एवं चालू वित्तीय वर्ष में झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से फीड प्राप्त करने वाले मत्स्य कृषकों को प्राथमिकता दी जायेगी। जिला मत्स्य कार्यालय से संबद्ध मत्स्य बीज उत्पादकों से मत्स्य अंगुलिका क्रय किया जायेगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन के Geo tagged फोटोग्राफ्स (Latitude – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे। विभाग द्वारा मत्स्य स्पॉन प्राप्त करने वाले मत्स्य बीज उत्पादक एवं उनके परिवार को यह लाभ देय नहीं होगा।

(च) योजना के अन्तर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी, डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

9. मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन जिला स्तर पर पूर्व से उपायुक्त द्वारा गठित समिति एवं उक्त समिति के कम से कम 50% सदस्यों की उपस्थिति में किया जायेगा। संचयन के कार्यक्रम से जिले के उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार नई समिति का गठन, उपायुक्त की सहमति से किया जा सकेगा।

10. (क) पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels/अन्य उपयुक्त बीज तथा अन्य मेजर/ग्रास कार्प की अंगुलिकाओं के क्रय हेतु जिला स्तर पर समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित की जायेगी। समान मूल्य दर पर स्थानीय मत्स्य बीज उत्पादकों/प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी संचयन एवं in-situ बीज उत्पादन के फोटोग्राफ्स (Latitud – longitude सहित)/वीडियोग्राफ्स/पंजी आदि संधारित कराकर सुरक्षित रखेंगे।

(ग) एक मत्स्य बीज उत्पादक से न्यूनतम 50 हजार तथा अधिकतम 02 लाख मत्स्य बीज (मेजर कार्प अंगुलिका) ही क्रय किये जायेंगे एवं तद्नुसार लाभुक के बैंक खाते में अनुदान की राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। मत्स्य निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक (जलाशय) की अध्यक्षता में गठित कमिटि द्वारा ज्ञापांक 421 दिनांक 26.03.2026 के माध्यम से मेजर कार्प अंगुलिका का 1.50/– रु0 (size – 3"- 4"), ग्रास कार्प अंगुलिका का 2.50/– रु0 (size – 3"- 4") तथा पंगेशियस/MST अंगुलिका हेतु 3.00/– रु0 (size – 2.5"- 3") मात्र इकाई लागत आकलित की गई है।

(घ) जलाशय/खदान स्तरीय समितियों एवं उनके सदस्यों को दिए जाने वाले 166 नाव हेतु दिनांक 19.03.2026 को उप मत्स्य निदेशक (योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण), मत्स्य निदेशालय, राँची की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 422 दिनांक 26.03.2026 द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (ल0 X चौ0 X ग0 – 14' X 4'6" X 20") एवं इकाई लागत के आलोक में मो0 40,000/– (चालीस हजार) रू0 होगी, में सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 36,000/– (छत्तीस हजार) रू0 प्रति नाव लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। शेष राशि समितियों अथवा उनके सदस्यों के द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार निजी स्वामित्व के 04 हेक्टेयर से बड़े तालाबों में भी सामान्य नाव का लाभ दिया जा सकेगा।

(ड.) केज रिपेयरिंग की अनुमानित लागत मो0 35,000/– (पैंतीस हजार) रू0 है जिसमें सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 25,000/– (पच्चीस हजार) रू0 की होगी। शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन किया जायगा। केज रिपेयरिंग के लिए इच्छुक लाभुक जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुक के साथ ससमय करेगें। मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिपेयरिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ् (Latitude – longitude सहित), रिपेयरिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची (दर सहित), मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या एवं रिपेयरिंग के उपरांत फोटोग्राफ् तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य सम्पादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। केज रिपेयरिंग में प्रयुक्त सामग्रियों/मजदूरी का भुगतान केज अधिष्ठापन के वर्तमान प्राक्कलन/अधिसूचित दर के आधार पर वास्तविक अथवा अधिकतम मो0 25000/–रू0 प्रति केज बैटरी, जो भी कम हो किया जायेगा तथा शेष राशि केज लाभुकों/धारक समितियों के द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिपेयर में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

(च) जलाशयों में वर्ष 2020–21 तक निर्मित केजों के लिए कम से कम 6 मीटर x 4 मीटर x 5 मीटर साईज के 45 Ply के 12–24 mm eye size नायलॉन, 210 D नायलॉन knotted / knotless (लाभुक के इच्छानुसार) ग्रो–आउट नया नेट लगाना आवश्यक है। एक लाभुक को अधिकतम् दो नये ग्रो–आउट नेट ही देय होंगे। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा ग्रो आउट नेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में 45 Ply के knotted ग्रो–आउट हेतु निर्धारित न्यूनतम दर 30,200/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 22,650/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष लाभुक का अंशदान होगा। केज मत्स्य पालक अगर knotless ग्रो–आउट नेट अथवा 6 मीटर x 4 मीटर x 5 मीटर साईज से बड़े साईज के ग्रो–आउट नेट का क्रय करते हैं तो उनके 75 प्रतिशत अनुदान की गणना उक्त दर 30,200/– रुपये प्रति नेट के आधार पर ही की जाएगी एवं आवश्यक शेष राशि का वहन लाभुक द्वारा किया जायेगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के केज के क्षेत्र की मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। वैसे केज लाभुक जिनके पास वर्ष 2021–22 के पूर्व अर्थात् वर्ष 2020–21 तक के निर्मित केज हों तथा केजों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा है। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। केज मत्स्य पालकों द्वारा उपरोक्त निर्धारित मूल्य के नये ग्रो–आउट नेट के क्रय का अभिश्रव empanelled फर्म/संस्था से प्रस्तुत करने पर अनुदान की राशि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/पर्यवेक्षक के द्वारा ग्रो–आउट नेट का भौतिक सत्यापन अनुदान विमुक्त करने के पूर्व किया जाएगा।

(छ) जलाशयों में मछली पालन के दौरान मत्स्य पालकों की सुरक्षा तथा आपदा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा की जाने वाली मोटरचालित नाव की मांग को ध्यान में रखते हुये जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को empanelled फर्म/संस्था से 4 से 6 सीटर क्षमता वाले मोटरचालित नाव {FRP Boat, Size- 14'- 0" x 5'- 4" x 2'- 0" के साथ 9.9 HP OBM HIDEA/SUZUKI/YAMAHA/OUTBOARD etc. equivalent, Manual Rope Start 2 Stroke Petrol operated तथा Accessories-Oars (2 Nos.) एवं PP Rope-50 Ft.} उपलब्ध कराया जाना है। जलाशयों में केज एवं केज हाउस अधिष्ठापित किये बिना भी मत्स्य उत्पादन/मछली पकड़ने के आधार पर मोटरबोट उपलब्ध कराया जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा मोटरचालित नाव की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में निर्धारित न्यूनतम दर 4,14,000/– रुपये का 90 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 3,72,600/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुक समितियों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का चयन जिले के उपायुक्त द्वारा किया जाएगा। इसके लिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाएँगे। इस हेतु चयन समिति का गठन उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कराया जाएगा। बोट के संचालन तथा रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित लाभुक मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

(ज) इसी प्रकार जलाशयों में मछली की शिकारमाही करने वाले जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों/सदस्यों/विस्थापितों तथा कोविड–19 के प्रवासी मजदूरों को मछली की शिकारमाही हेतु प्रति लाभुक अधिकतम 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट (Fish Net Nylon Poly, Twin size 1/3, Mesh size 75mm – 150 mm, M.D 100) हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जाना है। इस स्पेशिफिकेशन के गिल नेट के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा इकाई लागत निर्धारित करने के लिए आमंत्रित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में निर्धारित न्यूनतम दर 590/– रुपये के विरुद्ध 90 प्रतिशत् की आर्थिक सहायता अर्थात् 2655/– रु0 दी जाएगी एवं आवश्यक शेष 10 प्रतिशत राशि का वहन लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाएगा।

लाभुकों का चयन जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में संबंधित जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति के अध्यक्ष/सचिव अथवा दोनों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा। लाभुक को अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत दो वर्षों का मछली शिकारमाही का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा। Empanelled फर्म/संस्था/आपूर्तिकर्त्ता से उपरोक्त उल्लिखित स्पेशिफिकेशन के नये 05 कि0 ग्रा0 गिल नेट क्रय का अभिश्रव प्रस्तुत करने पर जिला मत्स्य पदाधिकारी अथवा

उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन उपरान्त अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

(झ) पूर्व में वर्ष 2015–16 तक विभिन्न जलाशयों में केज हाउस का निर्माण कराया गया है। किन्तु वर्ष 2016–17 से केन्द्र प्रायोजित ब्लू रेभोल्यूशन योजना एवं एन0एफ0डी0बी0 द्वारा तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (वित्तीय वर्ष 2024–25 से DAJGUA सहित) के तहत् राज्य के विभिन्न जलाशयों में निर्मित केजों के साथ केज हाउस निर्मित नहीं हैं। इन केजों में मछलियों के आहार (Fish Feed) को रखने की व्यवस्था तथा केज पालकों के ठहरने हेतु केज हाउस आवश्यक है। केज हाउस के अधिष्ठापन से जलाशयों में अधिष्ठापित केजों में मछली पालन की निगरानी भी अच्छे तरीके से की जा सकेगी। कार्यपालक अभियंता, RWD Works Division, हजारीबाग द्वारा मो0 6,05,450/– रुपये मात्र प्रति केज हाउस के प्राक्कलन पर दिनांक 21.09.2023 को तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

निदेशक मत्स्य द्वारा उपरोक्त तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन के विरूद्ध केज हाउस की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में आमंत्रित "इच्छा की अभिव्यक्ति" में निर्धारित न्यूनतम दर 6,01,000/– रुपये पर अधिकतम 90 प्रतिशत अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। साथ ही लाभुक द्वारा अपना अंशदान लगाने की लिखित सहमति एवं विगत वर्षों का केज में मछली उत्पादन का आँकड़ा लिखित रूप में आवेदन के साथ संलग्न किया गया हो। पूर्व के वैसे केज लाभुक जिन्हें केज हाउस का लाभ नहीं मिला है, उन्हें इस केज हाउस का लाभुक बनाया जा सकता है। केज हाउस का अधिष्ठापन मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 248 दिनांक 08.02.2024 द्वारा empanelled फर्म/संस्था से लाभुक द्वारा कराया जाएगा।

विभागीय योजना अंतर्गत जहाँ पूर्व से केज हैं अथवा चालू वित्तीय वर्ष में विभागीय योजना के तहत् केज अधिष्ठापित किये जा रहें हों, वहीं केज हाउस का निर्माण कराया जाय।

(ञ) नये आर0एफ0एफ0 के लिए प्रति चालीस मी0 X पाँच मी0 के नेट के साथ इनपुट व्यय सहित इकाई लागत मो0 86,000/– रु0 अनुमानित है। इस योजना के अंतर्गत आकस्मिकता मद की स्वीकृत राशि से पर्यवेक्षण, फोटोग्राफी (Latitude – longitude सहित), डाटा इन्ट्री इत्यादि कार्य किए जाएँगे।

(ट) अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) मद के तहत् आवश्यकतानुसार कार्यों के साथ–साथ क्रय आदि की विहित प्रकिया का पालन करते हुये जरेडा के माध्यम से सोलर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया जायेगा।

(ठ) लोहरदगा जिला अंतर्गत इस योजना की सृजित देनदारियाँ (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, लोहरदगा के पत्रांक 914 दिनांक 29.12.2025 द्वारा संसूचित) जिनका भुगतान कतिपय कारणों से लंबित रहा है, का भुगतान, विधिवत जाँचोपरांत इस राज्यादेश के अधीन किया जा सकेगा। देनदारियों का सृजन स्वीकृत कार्यों के वास्तविक निष्पादन के उपरान्त हुआ है, इसकी विधिवत समीक्षा कर भुगतान की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

(ड) योजना के अंतर्गत उपर्युक्त कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन हेतु समय–समय पर मत्स्य निदेशालय द्वारा जिलों को अनुदेश जारी किये जायेंगे।

(ढ) प्राथमिक स्तर पर प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक एवं द्वितीय स्तर पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण तथा स्थल निरीक्षण किया जाएगा। मदवार प्रगति के आँकड़ों का मासिक संकलन जिला स्तर पर करते हुए इसका प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को प्रेषित किया जाएगा।

निदेशालय स्तर पर उप मत्स्य निदेशक, योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण/जलाशय/संबंधित सहायक मत्स्य निदेशक (तकनीकी)/निदेशक मत्स्य द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी इस योजना के

अंतर्गत राज्य के भौतिक उपलब्धियों की साप्ताहिक समीक्षा कर प्रतिवेदन निदेशक मत्स्य को उपलब्ध
करायेंगे तथा भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। निदेशालय स्तर पर आवश्यकतानुसार
योज़ना के विभिन्न एवं आवश्यक कम्पोपेंटस का समय–समय पर मूल्यांकन कराया जाएगा।

<u>**समेकित मत्स्य पालन**</u> –

11. राज्य के मत्स्य पालकों को समेकित मत्स्य पालन की ओर उन्मुख करने तथा उनकी आय में
बढ़ोत्तरी हेतु निजी क्षेत्र के लिए मछली–सह–बत्तख पालन योजना की स्वीकृति दी जाती है।

i. इस योजना में लाभुकों के द्वारा मछली–सह–बत्तख पालन (2 Components) किया जाएगा।

ii. वित्तीय वर्ष 2020–21 में मत्स्य प्रसार, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान योजना अन्तर्गत राज्य योजना
प्राधिकृत समिति की दिनांक 22.02.2021 को सम्पन्न बैठक में एक कॉम्पोनेन्ट के रूप में
मछली–सह–बत्तख पालन की स्वीकृति प्राप्त है। बैठक की कार्यवाही माननीय
योजना–सह–वित्त मंत्री जी के अनुमोदन उपरांत योजना–सह–वित्त विभाग (योजना प्रभाग) के
ज्ञापांक रा0 यो0 प्रा0 – 35 / 21 दिनांक 01.03.2021 द्वारा निर्गत है।

12. (क) चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए भी समान इकाई लागत दर
(मो0 1,53,350 / –रू0) प्रति 0.4 हेक्टर जलक्षेत्र (तालाब) लागू होगी। Duck House लाभुक द्वारा
स्थानीय स्तर पर बनाया जायेगा।

(ख) इस योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के
लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,22,680 / –रू0) होगा तथा
शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 70
प्रतिशत (अधिकतम मो0 1,07,345 / –रू0) होगा, शेष राशि लाभुक द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।
इसी प्रकार 0.2 हेक्टेयर पर मछली–सह–बत्तख पालन के लिए राज्य सरकार के अंशदान की राशि
समानुपातिक रुप से होगी।

13. प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े जलक्षेत्र के तालाबों को दी जाएगी किन्तु एक
स्थल / लाभुक पर एक यूनिट (160 ducklings) ही स्वीकृत किया जायेगा।
RFF के लिए भी प्रति स्थल अधिकतम दो इकाई (Two units) की परियोजना होगी। लाभुक
का अंशदान वहाँ कार्यरत लाभुक समूह / मत्स्यजीवी सहयोग समिति द्वारा वहन किया जाएगा।

14. समाचार पत्रों में दिए गए विज्ञापन के उपरान्त प्राप्त आवेदनों में लाभुकों का चयन जिला
स्तर पर ''सुरक्षित जमा निर्धारण समिति'' द्वारा किया जायेगा जिसमें जिला पशुपालन पदाधिकारी
अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी (पशु चिकित्सक) विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।

15. लाभुकों का चयन निम्न बिन्दुओं / अहर्त्ताओं पर किया जायेगा –

(क) योजना कार्यान्वयन का प्रस्तावित स्थल आबादी के नजदीक हो।

(ख) लाभुक का अपना तालाब (प्राथमिकता एक एकड़ अथवा उससे बड़े तालाब) हो अथवा
वित्तीय वर्ष 2026–27 से तीन वर्षों के लिए लीज पर हो।

(ग) जिला मुख्यालय के नजदीक के लाभुकों को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि अनुश्रवण आदि में
सुविधा हो।

(घ) RFF के पास के लाभुकों के चयन में ध्यान रखा जाएगा कि RFF का लाभुक समूह सक्रिय
हो तथा उनका बैंक खाता संचालित हो रहा हो।

(ङ) लाभुकों का cluster बनाकर योजना का कियान्वयन किया जाना श्रेयस्कर होगा।

16. (क) समेकित मत्स्य पालन के रुप में मछली–सह–बत्तख पालन का जिलावार एवं लघु
शीर्षवार भौतिक लक्ष्य (यूनिट में) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) परिशिष्ट **'IV'** के रुप में संलग्न
है।

(ख) मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 668 दिनांक 01.06.2021 एवं पत्रांक 691 दिनांक 09.06.2021 द्वारा 0.4 हे0 अर्थात् एक यूनिट समेकित मत्स्य पालन हेतु इसके विभिन्न अवयव संबंधित अधीनस्थ स्थापनाओं को संसूचित हैं।

17. सरकार का अनुदान तीन किस्तों में जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक को डी0 बी0 टी0 के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। अनुदान की प्रथम किस्त तथा लाभुक के अंशदान से बत्तख–घर (Duck-House) का निर्माण, Starter feed/ medicines तथा Ducklings क्रय किये जायेंगे। उक्त कार्य होने पर द्वितीय किस्त तथा दो माह तक Ducks के जीवित रहने के उपरान्त तृतीय किस्त की राशि विमुक्त की जायेगी।

क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि जिस हेतु राशि विमुक्त की जा रही है उसका व्यय उन्हीं कार्यों में किया जाय।

<u>फीड बेस्ड फिशरीज</u> –

18. कंडिका '3' के तालिका के क्रमांक – (क) 1 एवं (ग) 1 में कार्यालय उपकरण मद में अंकित राशि जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची, बोकारो एवं धनबाद तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी, सरायकेला–खरसावॉ, रामगढ़ एवं कोडरमा को उपलब्ध कराई जायेगी, जिनके द्वारा (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) फीड मिल के उपकरणों का क्रय GeM के माध्यम से किया जाएगा। GeM में उपलब्ध नहीं रहने पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित विहित प्रक्रिया अनुसार किया जायेगा।

उपर्युक्त उल्लिखित तालिका के क्रमांक – (क) 6 एवं (ग) 7 में अंकित अन्य व्यय की राशि से विभिन्न जिलों में स्थापित फीड मिल के संचालन में आकस्मिकताओं के भुगतान (मात्र राँची जिला के लिए जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में) हेतु व्यय किया जायेगा। साथ ही इसी तालिका के क्रमांक – (क) 4 एवं (ग) 4 में अंकित विद्युत व्यय की राशि से राँची (जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, राँची द्वारा प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची से प्राप्त माँग के आलोक में), सरायकेला, रामगढ़, कोडरमा, बोकारो तथा धनबाद के फीड मिल के विद्युत विपत्रों का व्यय किया जायेगा।

19. विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री मद में स्वीकृत राशि से मत्स्य कृषकों/केज मत्स्य पालकों को मछली के उत्पादन हेतु 50 प्रतिशत् अथवा 25/– रू0 प्रति कि0ग्रा0 अधिकतम् अनुदान पर कम से कम 24 % प्रोटीन गुणवत्तायुक्त 2 mm से बड़े 4 mm तक का फिश फीड उपलब्ध कराया जाएगा।

विभाग द्वारा स्थापित फिश फीड मिल अथवा झास्कोफिश से उत्पादित फिश फीड अथवा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत सरकारी अनुदान से स्थापित फिश फीड मिल से उत्पादित फीड पर ही यह लाभ कृषकों को फीड के रुप में ही दिया जाएगा।

20. उपर्युक्त कंडिका 19 के अतिरिक्त मत्स्य पालकों को 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर भी 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से ही अनुदान देय होगा।

एक लाभुक को अधिकतम कुल 700 किलोग्राम 2 mm अथवा इससे छोटे साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 17500/–(सतरह हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

21. कंडिका 19 एवं 20 के अतिरिक्त केज मत्स्य पालकों को दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) के क्रय पर 50 प्रतिशत् अथवा अधिकतम 25/–रू0 प्रति किलोग्राम फीड की दर से अनुदान देय होगा। एक लाभुक को अधिकतम कुल 1500 किलोग्राम 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अधिकतम 37,500/–(सैंतीस हजार पाँच सौ) रू0 अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी। इसके अतिरिक्त रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम, बायोफ्लॉक टैंक तथा बायोफ्लॉक तालाब के लिए भी अनुदान पर फीड उपलब्ध कराया जाएगा जो निम्न प्रकार है –

(क) <u>रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम</u> (RAS) – रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 90 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 08 टैंक) के लिए अधिकतम 650 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ख) <u>बायोफ्लॉक टैंक</u> (Biofloc Tank) – इसी प्रकार बायोफ्लॉक टैंक में दूसरे crop से मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को 10 m^3 के प्रति टैंक (अधिकतम 50 टैंक) के लिए अधिकतम 50 किलोग्राम प्रति टैंक की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

(ग) <u>बायोफ्लॉक तालाब</u> (Biofloc Pond) – बायोफ्लॉक तालाब (0.1 Ha) में दूसरे crop के मछली उत्पादन के लिए एक लाभुक को अधिकतम 1500 किलोग्राम प्रति तालाब (0.1 Ha) की दर से 4 mm तक के साईज के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड के क्रय पर 25/–रू0 प्रति किलोग्राम के समानुपातिक दर पर अनुदान की राशि लाभुक के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जायेगी।

22. केज मत्स्य पालकों/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम लाभुकों/बायोफ्लॉक टैंक लाभुकों/बायोफ्लॉक तालाब के लाभुकों को अनुदान पर फिश फीड उपलब्ध कराने हेतु उनके चयन में यह ध्यान रखा जाय कि लाभुक सक्रिय केज मत्स्य पालक/सक्रिय रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक टैंक संचालक/सक्रिय बायोफ्लॉक तालाब संचालक हो तथा उसके द्वारा केज में/रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम में/बायोफ्लॉक टैंक में/बायोफ्लॉक तालाबों में वर्तमान में मछली पालन किया जा रहा हो। उसके पास कम से कम पिछले एक crop का रिकॉर्ड हो। मात्स्यिकी गतिविधियों (मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली, मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा बिक्री की गई मछलियों का data) से नियमित रुप से जिला मत्स्य कार्यालय को अवगत कराने के लिए सहमत हो।

23. जिला मत्स्य पदाधिकारी लाभुकवार मत्स्य बीज संचयन की विवरणी, संचित मत्स्य बीज की संख्या तथा उपलब्ध मछली (कि0 ग्रा0 अथवा टन में) की विवरणी प्राप्त करेंगे। मछलियों के ग्रोथ, उत्तरजीविता तथा उपलब्ध मछलियों (यदि संचित मछलियों में से बिक्री की गई हो तो शेष उपलब्ध मछलियों) के अनुरुप ही चार किस्तों में लाभुक को अनुदान देय होगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा इस संबंध में लाभुकवार प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित कर ही अनुदान का भुगतान किया जायेगा। जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि किस्तवार देय अनुदान उपलब्ध स्टॉक तथा इसके लिए आवश्यक समानुपातिक फीड के अनुरुप हो।

24. लाभुक द्वारा 2 mm अथवा इससे छोटे साईज / 2 mm से बड़े 4 mm तक के फैक्ट्री उत्पादित फ्लोटिंग फीड (खुले बाजार से) का वास्तविक रूप में क्रय किया गया है एवं इसकी GST Billing हुई है, इसकी पूर्ण जिम्मेवारी सम्बंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। GST Billing के

बिना किसी भी लाभुक के खाते में राशि डी0बी0टी0 नहीं की जायेगी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित हो लेंगे कि लाभुक को देय अनुदान की राशि उसके द्वारा व्यय की गई राशि से 50 प्रतिशत अथवा 25/–रू0 प्रति किलोग्राम अधिकतम अनुदान से ज्यादा नहीं हो। साथ ही समय–समय पर फोटोग्राफी की भी जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

कंडिका '20' तथा '21' में अंकित अनुदान की विमुक्ति की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी। जिला मत्स्य पदाधिकारी इस तथ्य की सत्यता की जाँच कर लेंगे कि आवेदक द्वारा वास्तव में GST विपत्र के साथ फीड का क्रय किया है।

फीड बेस्ड फिशरीज के लिए जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट **'V'** के रुप में संलग्न है। निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत कर सकेंगे।

<u>केज कल्चर विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण</u> –

25. राज्य के वैसे सभी जलाशय अथवा खदान जिनमें मछली पालन की संभावना है, उनमें केज कल्चर के माध्यम से मत्स्य पालन करने तथा स्थानीय ग्रामीणों/विस्थापितों की आय में बढ़ोत्तरी हेतु निम्न शर्त्तों के साथ राज्य योजना अन्तर्गत यह योजना स्वीकृत की गई है–

i. केज कल्चर विस्तार और सुदृढ़ीकरण में चालू वित्तीय वर्ष में जलाशयों अथवा खदानों में केज कल्चर द्वारा मछली पालन किया जायेगा।

ii. जलाशयों एवं खदानों में केज कल्चर में मुख्यतः G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल अथवा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल का उपयोग किया जाएगा। दिनांक 07.07.2021 को सम्पन्न बैठक जिसकी कार्यवाही ज्ञापांक 878 दिनांक 19.07.2021 द्वारा निर्गत है, में जिला मत्स्य पदाधिकारियों की अनुशंसा अनुसार खदानों में बड़े केज अर्थात् 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी से बेहतर उत्पादन प्राप्त होगा क्योंकि वहाँ घुलनशील ऑक्सीजन जलाशयों की तुलना में कम होता है। साथ ही बड़े केज होने से पानी का बहाव बेहतर होगा।

iii. जलाशयों/खदानों का चयन –

1. जिनका क्षेत्रफल ज्यादा हो।
2. पहुँच पथ हो तथा आबादी के नजदीक हो।
3. मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो अथवा स्थानीय लाभुक अपना अंशदान लगाने के इच्छुक हों।

iv. लाभुकों का चयन – लाभुकों का चयन प्रखण्ड प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक की अनुशंसा पश्चात्, जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा निम्न शर्त्तों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा :–

1. लाभुकों के चयन में जलाशयों/खदानों के विस्थापितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
2. यदि जलाशय/खदान के उपयोग हेतु मत्स्यजीवी सहयोग समिति गठित हो तो उसके सदस्य हो।
3. जलाशय/खदान के आस–पास के निवासी हों।
4. लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो।
5. मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है।
6. एक बैटरी में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं।
7. जलाशयों/खदानों के चयन तथा लाभुकों के चयन पर संबंधित प्रमण्डल के प्रभारी उप मत्स्य निदेशक का अनुमोदन आवश्यक होगा।

26. **केज अधिष्ठापन –**

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने 12m x 8m x 5m के एक केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,87,850/– रु0 मात्र तथा 8m x 6m x 5m के दो केज–एक बैटरी मॉडल के मो0 3,67,350/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

इन्हीं उपलब्ध प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुए दोनों आकार के केज बैटरी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 3,60,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी की दर निर्धारित की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–22 में ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित करते हुये उपरोक्त दोनों प्रकार के केज बैटरी की इकाई लागत मो0 3,58,000/– रु0 मात्र प्रति केज–बैटरी निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1839 दिनांक 22.12.2021 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज का अधिष्ठापन लाभुक द्वारा उपर्युक्त कंडिका (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में निर्धारित प्रति केज–बैटरी की दर मो0 3,58,000/– रु0 मात्र पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 3,22,200/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक का अंशदान होगा। जलाशयों/खदानों के विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज अधिष्ठापन में 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

27. **केज में इनपुट –**

(i) विस्थापित केज लाभुकों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उपरोक्त उल्लिखित दोनों प्रकार के केज–बैटरी हेतु इनपुट के लिए राज्य सरकार का अंशदान 50 प्रतिशत (अधिकतम मो0 2,00,000/–रू0) होंगे तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

(ii) लाभुक के द्वारा इनपुट यथा समुचित संख्या में मत्स्य बीज (प्रति बैटरी कम से कम 12000 मत्स्य बीज) संचयन के उपरांत एवं मानक कम्पनियों के 2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फिश फीड तथा आवश्यकतानुसार 4 mm तक के फ्लोटिंग फिश फीड के GST सहित अभिश्रव प्रस्तुत करने अथवा झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल से 4 mm तक के फ्लोटिंग फिश फीड के क्रय पर ही इनपुट की राशि लाभुकों के बैंक खाते में तीन किस्तों में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

(iii) फिश फीड के क्रय की भौतिक सत्यापन की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों की होगी।

28. **केज मत्स्य पालकों को नाव** – केज मत्स्य पालकों को नाव भी उपलब्ध कराया जाना है। दिनांक 19.03.2026 को उप मत्स्य निदेशक (योजना, प्रसार एवं अनुश्रवण), मत्स्य निदेशालय, राँची की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक 422 दिनांक 26.03.2026 द्वारा निर्धारित स्पेसिफिकेशन (ल0 X चौ0 X ग0 – 14' X 4'6" X 20") एवं इकाई लागत के आलोक में मो0 40,000/– (चालीस हजार) रू0 होगी, में सरकारी सहायता अधिकतम् मो0 36,000/– (छत्तीस हजार) रू0 प्रति नाव होगी। शेष राशि लाभुक सदस्यों द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा क्रय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

29. **केज मत्स्य पालकों को लाईफ जैकेट** – केज मत्स्य पालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें empanelled संस्था/फर्म से Three Buckle 5 mm EPF foam filled the whole

jacket, weight capacity : 70 - 120 kg, buoyancy 150 N, material – polyster water resistance, size – standard 68 cm X 37 cm X 10 cm, equipped with useful whistle का एक लाईफ जैकेट हेतु सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में निदेशक मत्स्य द्वारा उल्लिखित लाईफ जैकेट की इकाई लागत निर्धारित करने हेतु आमंत्रित ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' में निर्धारित न्यूनतम दर 2420/– रुपये का 75 प्रतिशत अर्थात् अधिकतम 1815/– रुपये का स्वीकृत अनुदान देय होगा तथा शेष अंशदान लाभुक का अपना होगा। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारियों के द्वारा क्रय के भौतिक सत्यापन उपरांत ही अनुदान की राशि लाभुकों के बैंक खाते में डी0 बी0 टी0 के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी।

30. **केज रिमॉडलिंग** – प्राकृतिक आपदा, स्थानीय चक्रवात, क्रॉप क्रैश के कारण लाभुकों/धारक मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के टूटे केज की रिमॉडलिंग हेतु जीर्णोद्धार मद में राशि स्वीकृत की गई है।

(i) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा वर्ष 2021 में G.I. पाईप से बने चार केज–एक बैटरी मॉडल/दो केज–एक बैटरी मॉडल/एक केज–एक बैटरी मॉडल के एक केज–एक बैटरी में रिमॉडलिंग के मो0 1,83,500/– रु0 मात्र के प्राक्कलन पर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है।

(ii) निदेशक मत्स्य द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में ''इच्छा की अभिव्यक्ति'' आमंत्रित करते हुये केज रिमॉडलिंग की इकाई लागत मो0 1,82,500/– रु0 मात्र प्रति निर्धारित की गई है तथा मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 180 दिनांक 27.01.2023 द्वारा इच्छुक फर्म/संवेदक का empanelling किया गया है।

(iii) केज रिमॉडलिंग कार्य लाभुक/धारक समिति द्वारा उपर्युक्त कंडिका 30 (ii) के द्वारा empanelled फर्म/संवेदक से कराया जाएगा।

(iv) '' इच्छा की अभिव्यक्ति '' में निर्धारित केज रिमॉडलिंग दर मो0 1,82,500/– रु0 मात्र प्रति पर 90 प्रतिशत अर्थात् मो0 1,64,250/– रु0 मात्र का अनुदान देय होगा तथा शेष 10 प्रतिशत लाभुक/धारक समिति का अंशदान होगा। जलाशयों के विस्थापितों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए केज रिमॉडलिंग में भी 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

(v) केज रिमॉडलिंग हेतु लाभुक पूर्व में केज धारक अथवा जलाशय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का सदस्य हो। मत्स्यजीवी सहयोग समिति भी लाभुक हो सकती है। लाभुक अपना अंशदान लगाने का इच्छुक हो/सक्षम हो। चार केज–एक बैटरी मॉडल अथवा दो केज–एक बैटरी मॉडल में अधिकतम दो लाभुक साझा हो सकते हैं। जलाशयों के विस्थापित केज धारकों को प्राथमिकता दी जाएगी।

(vi) केज रिमॉडलिंग के लिए इच्छुक लाभुक/धारक समिति जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन देंगे। प्राप्त आवेदनों की स्थल जाँच प्रभारी मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक अथवा आवश्यकतानुसार जिला मत्स्य पदाधिकारी स्वयं लाभुकों के साथ करेंगे।

(vii) मरम्मति योग्य केज का लाभुकवार केज रिमॉडलिंग के अभिलेख तैयार किए जायेंगे। अभिलेख में लाभुक का आवेदन, केज का फोटोग्राफ्स (Latitude – Longitude सहित), रिमॉडलिंग कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों की सूची, मजदूरी पर व्यय की गई राशि, केजों की कुल संख्या तथा रिमॉडलिंग के उपरांत फोटोग्राफ एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी की टिप्पणी सहित लाभुक का कार्य संपादित का आवेदन संधारित किये जायेंगे। जिला मत्स्य पदाधिकारी केज रिमॉडलिंग में हुए कार्यों में लाभुकों के अंशदान के समानुपातिक राज्य सहायता सुनिश्चित करेंगे।

31. **फ्लोटिंग जेट्टी** – जलाशयों के किनारे में लैडिंग कार्यस्थल हेतु आपूर्ति सामग्री मद में फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु राशि स्वीकृत की गई है।

(i) पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार के पत्रांक 131 दिनांक 08.02.2024 द्वारा निर्गत औपबंधिक कार्यादेश में अंकित दर मो0 35,900/– रु0 प्रति Sq. m के आधार पर ही 40 Sq. m के फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु अधिकतम मो0 14,36,000/– रु0 मात्र की दर निर्धारित की गई है।

(ii) फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित आवश्यक Specifications के आलोक में जिला स्तर पर संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकरियों के द्वारा "इच्छा की अभिव्यक्ति" आमंत्रित करते हुये अथवा पर्यटन निदेशालय, झारखण्ड सरकार के द्वारा यदि इस हेतु empanelled फर्म/संवेदक हो तो, से कराया जाएगा। किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा राशि कार्य एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी।

(iii) फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन हेतु जलाशय का चयन संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा इससे उपायुक्त को संचिका के माध्यम से अवगत कराया जायेगा। फ्लोटिंग जेट्टी के रख–रखाव की जिम्मेवारी उस जलाशय के मत्स्यजीवी सहयोग समिति की होगी।

केज अधिष्ठापन, फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन एवं केज रिमॉडलिंग का जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य क्रमशः परिशिष्ट **'VI'** एवं **'VII'** के रुप में संलग्न है।

<u>बायोफ्लॉक तालाब निर्माण योजना</u> –

32. इस योजना अंतर्गत लाभुकों के निजी जमीन पर 0.1 हेक्टेयर (एक यूनिट) के बायोफ्लॉक तालाब निर्माण (इनपुट सहित) हेतु भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत स्वीकृत इकाई दर के अनुरुप ही मो0 14,00,000/– (चौदह लाख) रु0 मात्र अंतर्गत कियान्वित कराया जाना है। इस हेतु राज्य के अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं महिला कोटि के लाभुकों के लिए राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 11,20,000/– रू0 प्रति 0.1 हेक्टेयर) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 9,80,000/– रू0 प्रति 0.1 हेक्टेयर) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। एक लाभुक को अधिकतम एक यूनिट (0.1 हेक्टेयर) का लाभ दिया जायेगा। राज्य सरकार का अंशदान लाभुकों के बैंक खाते में डी0बी0टी0 की जाएगी।

नए बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हेतु लाभुकों के चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :

(i) लाभुकों का चयन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों में से जिला परिषद् द्वारा किया जायेगा।

(ii) लाभुकों का चयन निम्न अहर्ताओं के आधार पर किया जायेगा :–

(क) जिन लाभुकों के घर के नजदीक प्रस्तावित जमीन है तथा पूर्व से मछली पालन के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

(ख) बायोफ्लॉक तालाब निर्माण हेतु लाभुक द्वारा प्रस्तावित भूमि समुचित एवं अविवादित होनी चाहिए।

(ग) लाभुक के द्वारा प्रस्तावित भूमि पहले से बैंक में किसी ऋण के एवज में बन्धक नहीं हो।

(घ) लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू–खण्ड पर उसका वैध दखल कब्जा वर्तमान में बरकरार हो, जिसका भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/जमीनी प्रतिवेदन संलग्न करना होगा।

(ड.) चूँकि इस योजना में तालाब निर्माण हेतु लाभुक का भी अंशदान निहित है, अतः उन्हें आर्थिक रुप से सक्षम होना चाहिए।

(iii) उपयुक्त भूमि एवं लाभुकों का पारदर्शी तरीके से चयन कराने एवं प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से किसी प्रकार का तालाब निर्माण का कार्य नहीं किया गया हो, की पूरी जिम्मेवारी संबंधित प्रभारी मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

(iv) प्रस्तावित भू–खण्ड पर कार्य शुरु होने से पूर्व प्रस्तावित भू–खण्ड का, निर्माण कार्य के मध्य में तथा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभुक सहित फोटोग्राफ (Latitude & Longitude के साथ) संलग्न करना होगा, जो अभिलेख का अभिन्न अंग होगा।

(v) लाभुक का अंशदान सुनिश्चित करने के लिए ले–आउट तथा समानुपातिक खुदाई का व्यय लाभुक के अंशदान से किया जाये।

(vi) बायोफ्लॉक तालाब निर्माण कार्य स्थल पर सुगोचर स्थान पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम/वर्ष/प्राक्कलित राशि/अनुदान राशि/लाभुक का नाम एवं स्थान अंकित रहेगा। सूचना पट्ट का व्यय लाभुक द्वारा किया जायेगा।

(vii) संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा कार्य की प्रगति के अनुसार कम से कम तीन किस्तों में अनुदान की राशि विमुक्त की जाएगी। बायोफ्लॉक तालाब निर्माण पूर्ण होने के पश्चात् ही इनपुट हेतु अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा।

(viii) बायोफ्लॉक तालाब निर्माण के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।

(ix) योजना के अन्तर्गत बायोफ्लॉक तालाब निर्माण (इनपुट सहित) कार्य मत्स्य निदेशालय के पत्रांक 1586 दिनांक 17.11.2021 के दिशा–निर्देशों के अनुरुप कराना संबन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। चयन के उपरान्त लाभुक के द्वारा तालाब निर्माण में शिथिलता बरतने अथवा अपना अंशदान नहीं लगाने पर उनपर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

(x) जिलावार एवं लघु शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य परिशिष्ट **'VIII'** के रुप में संलग्न है। निदेशक मत्स्य जिलावार लक्ष्य के अनुरुप योजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यकतानुसार दिशा निदेश निर्गत कर सकेंगे।

33. योजना के तहत् कंडिका–8 (ग) एवं 10 (ड.), (छ), (झ) एवं (ञ) तथा कंडिका 26 एवं 30 में अंकित components हेतु चयनित प्रत्येक लाभुकों/लाभुक समूहों/लाभुक समितियों का Escrow Account संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा अनिवार्य रुप से खोला जायेगा एवं अनुदान की राशि नियमानुसार चयनित लाभुकों के संबंधित बैंक खातों (Escrow Account) में DBT के माध्यम से हस्तांतरित किया जायेगा। अंतिम रुप से चयनित होने के उपरांत लाभुकों को भी अपना अंशदान Escrow Account में 01 (एक) माह के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा। लाभुक अंशदान जमा होने के उपरांत ही लाभुकों को योजना का लाभ प्राप्त करने की अर्हता प्राप्त होगी। आवेदक/आवेदक समिति के द्वारा लाभुक अंशदान संबंधित Escrow Account में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। किये गये कार्य के अभिश्रवों के आधार पर जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक अंशदान एवं अनुदान की राशि कार्य एजेन्सियों/आपूर्तिकर्त्ता के बैंक खाता में एकमुश्त हस्तांतरित की जायेगी।

34. झारखण्ड दिव्यांग नीति के तहत इच्छुक दिव्यांगों को योजनाओं में तीन प्रतिशत तक का लाभ दिया जा सकेगा। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किये जाने के कम में योजनाओं के चयन में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

35. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये दर का निर्धारण कर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

36. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

37. विषयगत योजना कार्यान्वयन के क्रम में मशीन, उपस्कर इत्यादि के क्रय वित्त विभाग, झारखण्ड, रॉची द्वारा निर्धारित मानकों/शर्त्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक पालन किया जाए।

38. मशीन, उपस्कर इत्यादि के Specification का निर्धारण मत्स्य निदेशालय स्तर पर तकनीकी पदाधिकारी के द्वारा निर्धारित किये जाने के उपरांत विहित पारदर्शी वित्तीय प्रक्रिया अपनाते हुए GeM / खुली निविदा से किया जाए।

39. योजनांतर्गत प्रसंगाधीन शीर्ष के तहत् जिस अवयव के लिए बजटीय उपबंध प्रावधानित है, स्वीकृत राशि का व्यय उन्हीं कार्यों के निमित सुनिश्चित किया जाय।

40. योजनाओं को भौतिक निरीक्षण निदेशक, मत्स्य/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

क0	पदाधिकारी	योजनावार निरीक्षण की न्यूनतम संख्या
1.	जिला मत्स्य पदाधिकारी	20 (बीस)
2.	उप मत्स्य निदेशक	10 (दस)
3.	संयुक्त मत्स्य निदेशक	05 (पाँच)
4.	निदेशक, मत्स्य	02 (दो)

योजना का अनुश्रवण त्रिस्तरीय होगा। प्रथमतः क्षेत्रीय मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी स्थल निरीक्षण/परियोजना निरीक्षण करते हुए संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी को प्रतिवेदन देंगे।

निरीक्षण का द्वितीय स्तर जिला मत्स्य पदाधिकारी का होगा। निरीक्षण का तृतीय स्तर निदेशालय का होगा। निदेशक मत्स्य द्वारा निदेशालय स्तरीय संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक/सहायक मत्स्य निदेशकों से औचक निरीक्षण कराया जाएगा। प्रत्येक निरीक्षण के उपरांत निरीक्षण प्रतिवेदन संबंधित योजना अभिलेख में अंकित किया जायेगा।

41. इस योजना का क्रियान्वयन Blockchain Technology के माध्यम से सुचारु रुप से किया जायेगा।

42. योजना के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं को प्रत्यायोजित शक्तियों के आलोक में पंचायती राज संस्थाओं की भागदारी सुनिश्चित किया जाय।

43. Cluster पद्धति से ही कार्य कराया जाय ताकि योजना का समुचित अनुश्रवण हो सके।

44. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के Guidelines में निहित प्रावधानों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

45. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जायेगी। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

46. वित्तीय वर्ष 2025–26 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही आवंटन निर्गत किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में योजना का दोहरीकरण न हो। इसके उल्लंघन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः दोषी होंगे।

47. योजना के अन्तर्गत कोई राशि अग्रिम के समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

48. यह चालू प्रकृति की अम्ब्रेला **(Umbrella Scheme)** योजना है। योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में मुख्य शीर्ष–2405 एवं 4405 सहित स्वीकृत बजट उपबंध मो0 7420.00 लाख रु0

(संशोधित बजट उपबंध मो0 8620.00 लाख रु0) मात्र में से मो0 7537.71414 लाख रु0 मात्र का व्यय स्वीकृत कार्य हेतु किया गया है।

49. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के अधिसूचना. ज्ञापांक 301 दिनांक 11.03.2015 एवं ज्ञापांक 1269 दिनांक 21.09.2023 के आलोक में निर्गत किया जाता है।

50. प्रस्ताव में माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन निम्न शर्त्त के साथ प्राप्त है :–

(i) योजना क्रियान्वयन के संबंध में वित्त विभाग/कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के साथ–साथ अन्य विभागीय शर्त्तों का अक्षरशः अनुपालन कर लिया जाए।

(ii) योजना के क्रियान्वयन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके मूल स्वरूप में किसी भी प्रकार का विचलन न हो।

(iii) नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण–पत्र/व्यय प्रतिवेदन प्राप्त कर एवं अन्य सभी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर ही अग्रतर कार्रवाई की जाए।

51. स्वीकृत्यादेश प्रारुप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

52. स्वीकृत्यादेश प्रारुप में उल्लेखित प्रावधानों/शर्त्तों का अक्षरशः सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

53. निर्गत स्वीकृत्यादेश विभागीय वेब–साईट www.jharkhandfisheries.org पर देखा जा सकता है।

विश्वासभाजन

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 5 बजट (1) 36/2026 1510(1व0) **राँची, दिनांक** 23.06.26

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी)/मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची/सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 5 बजट (1) 36/2026 1510(1व0) **राँची, दिनांक** 23.06.26

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित योजना एवं विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/आ0 वि0 सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकरिता विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/उपायुक्त (सभी)/उप विकास आयुक्त (सभी) एवं सभी अपर समाहर्ता (अध्यक्ष, जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक :– 5 बजट (1) 36/2026 1510(1व0) **राँची, दिनांक** 23.06.26

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/ मुख्य सचिव के सचिव/ विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव एवं सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

15 राठ (पि
23-06-26

परिशिष्ट – I

'वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रमाग)–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन एवं 4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क0	कार्य	1 हजारीबाग	2 रामगढ	3 कोडरमा	4 चतरा	5 बोकारो	6 गिरिडीह	7 धनबाद	8 गोड्डा	9 पलामू	10 गढ़वा	11 देवघर	योग
I	मुख्य शीर्ष												
क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना											
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	120	70	60	80	130	80	80	60	50	50	110	890
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.80	6.30	5.40	7.20	11.70	7.20	7.20	5.40	4.50	4.50	9.90	80.10
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	400	280	280	310	360	250	340	280	340	300	360	3500
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट फॉर्मूलेटेड फीड तथा जाल का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	16.00	11.20	11.20	12.40	14.40	10.00	13.60	11.20	13.60	12.00	14.40	140.00
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	10000	6800	5500	6500	7500	5500	7000	7000	7000	6500	8000	77300
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	49.500	33.660	27.23	32.1750	37.13	27.23	34.650	34.6500	34.65	32.175	39.6000	382.6350
7	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से मत्स्य स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	15	5	24	24	12	6	5	9	8	6	2	116
8	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	6.00	2.00	9.60	9.60	4.80	2.40	2.00	3.60	3.20	2.40	0.80	46.40
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर की व्यवस्था, रख–रखाव आदि तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	8	0	0	0	1	0	2	0	0	2	6	19
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर की व्यवस्था, रख–रखाव आदि तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.20	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.80	0.00	0.00	1.80	3.40	12.60
11	जलाशय के छाड़न (in-situ) मे मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	46	18	10	6	10	7	6	10	8	5	11	137
12	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	36.80	14.40	8.00	4.80	8.00	5.60	4.80	8.00	6.40	4.00	8.80	109.60
13	नदियों के छाड़न (in-situ) मे मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	2.00	1.50	1.00	1.00	0.50	1.50	1.50	0.50	1.00	1.00	1.00	12.50
14	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.40	1.05	0.70	0.70	0.35	1.05	1.05	0.35	0.70	0.70	0.70	8.75
15	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	20	12	8	6	8	5	10	8	7	6	10	100
16	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	30.00	18.00	12.00	9.00	12.00	7.50	15.00	12.00	10.50	9.00	15.00	150.00
17	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	10	5	1	1	1	1	1	3	1	1	2	27
18	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	25.00	12.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	7.50	2.50	2.50	5.00	67.50
19	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का भौतिक लक्ष्य (सं0 एकड़ में)	100	76	75	65	80	60	80	60	80	60	80	816
20	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	1.875	1.425	1.406	1.219	1.500	1.125	1.500	1.125	1.500	1.125	1.500	15.300
21	वर्ष 2024–25 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमूत कतला/देशी मांगुर/Murrels/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	68	15	20	1	5	5	5	5.50	2	2	7	135.50
22	वर्ष 2024–25 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	204.00	45.00	60.00	3.00	15.00	15.00	15.00	16.50	6.00	6.00	21.00	406.50
23	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	5	3	3	2	0	5	5	0	5	5	5	38
24	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.25	0.75	0.75	0.50	0.00	1.25	1.25	0.00	1.25	1.25	1.25	9.50
25	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	15	8	12	2	4	3	6	3	5	5	4	67
26	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	5.400	2.880	4.320	0.720	1.440	1.080	2.160	1.080	1.800	1.800	1.440	24.120
27	वर्ष 2021–22 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	70	25	40	0	24	25	42	20	14	0	42	302
28	वर्ष 2021–22 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	15.85500	5.66250	9.06000	0.00000	5.43600	5.66250	9.51300	4.53000	3.17100	0.00000	9.51300	68.40300
29	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	2	1	2	0	1	0	1	0	1	1	0	9
30	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	7.452	3.726	7.452	0.000	3.726	0.000	3.726	0.000	3.726	3.726	0.000	33.534
31	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	30	30	10	7	8	25	8	30	49	0	207
32	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.26550	0.79650	0.79650	0.26550	0.18585	0.21240	0.66375	0.21240	0.79650	1.30095	0.00000	5.49585
33	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	2	2	1	1	1	1	1	2	1	1	1	14
34	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.818	10.818	5.409	5.409	5.409	5.409	5.409	10.818	5.409	5.409	5.409	75.726
35	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	0	0	6	0	0	0	5	0	0	0	0	11
36	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.00	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	426.61550	170.16800	170.97875	89.48825	124.97185	93.21390	126.12175	116.96540	99.70250	89.68595	137.71200	1645.62385
ख	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)												
37	कार्यालयों/ प्रक्षेत्रों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (सोलर लाईट आदि) (राशि लाख रू0 में)	2.20	2.15	2.15	2.20	2.20	2.20	2.20	2.20	2.15	2.15	2.20	24.00
ग	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय												
38	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रू0 में)	1.75	1.50	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.50	1.25	1.25	1.50	15.00
	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन का योग (वित्तीय लक्ष्य)	430.56550	173.81800	174.37875	92.93825	128.42185	96.66390	129.57175	120.66540	103.10250	93.08595	141.41200	1684.62385
II	मुख्य शीर्ष												
क	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना											
39	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	20	20	0	10	0	20	0	10	0	15	105
40	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.50	5.00	5.00	0.00	2.50	0.00	5.00	0.00	2.50	0.00	3.75	26.25
	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय का योग (वित्तीय लक्ष्य)	2.50	5.00	5.00	0.00	2.50	0.00	5.00	0.00	2.50	0.00	3.75	26.25
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	433.065500	178.818000	179.378750	92.938250	130.921850	96.663900	134.571750	120.665400	105.602500	93.085950	145.162000	1710.87385

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नही समझा जाय।

(मो0 सतरह करोड़ दस लाख सत्तासी हजार तीन सौ पचासी रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

15 रा0(मत्स्य)
23.06.26

परिशिष्ट – II

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन एवं 4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना का जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क0	कार्य	1 रांची	2 खूंटी	3 गुमला	4 सिमडेगा	5 लोहरदगा	6 लातेहार	7 चाईबासा	8 जमशेदपुर	9 सरायकेला	10 दुमका	11 जामताड़ा	12 साहेबगंज	13 पाकुड़	14 म0कि0प्र0के0	योग
I	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना														
क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री															
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	120	50	260	95	55	65	105	90	60	100	80	60	60	110	1310
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	10.800	4.500	23.400	8.550	4.950	5.850	9.450	8.100	5.400	9.000	7.200	5.400	5.400	9.900	117.9000
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	282	130	250	190	180	230	328	260	370	250	180	180	170	0	3000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट (फॉर्मूलेटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	11.280	5.200	10.000	7.600	7.200	9.200	13.120	10.400	14.800	10.000	7.200	7.200	6.800	0.000	120.0000
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	8400	3000	5500	5000	4000	5000	7000	5500	7500	7000	4000	4000	5000	0	70900
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	41.5800	14.8500	27.2250	24.7500	19.8000	24.7500	34.6500	27.2250	37.1250	34.6500	19.8000	19.8000	24.7500	0.0000	350.9550
7	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से मत्स्य स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	6	0	4	10	15	7	20	12	8	8	2	8	12	0	112
8	पोर्टेबल/प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना/विभागीय योजना/अन्य योजना से निर्मित मत्स्य बीज हैचरियों से स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.400	0.000	1.600	4.000	6.000	2.800	8.000	4.800	3.200	3.200	0.800	3.200	4.800	0.000	44.8000
9	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर की व्यवस्था, रख–रखाव आदि तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का भौतिक लक्ष्य (स0 करोड़ में)	8	0	10	5	0	6	3	8	0	3	2	0	0	15	60
10	विभागीय हैचरी का रखरखाव (ब्रूडर की व्यवस्था, रख–रखाव आदि तथा प्रेरित प्रजनन सहित) एवं स्पॉन उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.20	0.00	5.00	3.00	0.00	3.40	2.20	4.20	0.00	2.20	1.80	0.00	0.00	7.00	33.0000
11	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	36	5	6	15	6	10	10	8	25	35	8	0	6	0	170
12	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	28.80	4.00	4.80	12.00	4.80	8.00	8.00	6.40	20.00	28.00	6.40	0.00	4.80	0.00	136.0000
13	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	1.00	1.00	1.50	1.00	0.50	1.50	1.50	0.50	1.50	1.00	0.00	2.00	0.00	0.00	13
14	नदियों के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.70	0.70	1.05	0.70	0.35	1.05	1.05	0.35	1.05	0.70	0.00	1.40	0.00	0.00	9.1000
15	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	25	5	10	15	8	8	10	8	30	32	5	0	4	0	160
16	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	37.50	7.50	15.00	22.50	12.00	12.00	15.00	12.00	45.00	48.00	7.50	0.00	6.00	0.00	240.0000
17	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	8	1	1	3	2	2	1	2	6	5	3	0	1	0	35
18	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	20.00	2.50	2.50	7.50	5.00	5.00	2.50	5.00	15.00	12.50	7.50	0.00	2.50	0.00	87.5000
19	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का भौतिक लक्ष्य (सं0 एकड़ में)	150	80	160	100	130	80	120	180	150	120	60	100	70	0	1500
20	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	2.8125	1.5000	3.0000	1.8750	2.4375	1.5000	2.2500	3.3750	2.8125	2.2500	1.1250	1.8750	1.3125	0.0000	28.1250
21	वर्ष 2024–25 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	15	5	5	3	3	0	16	3	35	7	3	0	6	0	101
22	वर्ष 2024–25 तक पुराने केजों एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पंगेशियस/GIFT तिलापिया/अमृत कतला/देशी मांगुर/Murrels/अन्य उपयुक्त बीजों का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	45.00	15.00	15.00	9.00	9.00	0.00	48.00	9.00	105.00	21.00	9.00	0.00	18.00	0.00	303.0000
23	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	15	2	4	5	2	2	5	2	15	2	2	5	0	0	61
24	पुराने रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.75	0.50	1.00	1.25	0.50	0.50	1.25	0.50	3.75	0.50	0.50	1.25	0.00	0.00	15.2500
25	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	4	4	5	2	4	10	6	10	6	2	10	2	0	75
26	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.60	1.44	1.44	1.80	0.72	1.44	3.60	2.16	3.60	2.16	0.72	3.60	0.72	0.00	27.0000
27	वर्ष 2021–22 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	17	0	10	10	24	0	60	0	30	14	5	0	0	0	170
28	वर्ष 2021–22 के पूर्व निर्मित केजों के लिए ग्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.8505	0.0000	2.2650	2.2650	5.4360	0.0000	13.5900	0.0000	6.7950	3.1710	1.1325	0.0000	0.0000	0.0000	38.5050
29	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	2	0	1	0	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	7
30	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	7.452	0.000	3.726	0.000	0.000	0.000	7.452	0.000	7.452	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	26.0820
31	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	40	10	30	20	10	25	25	10	66	10	10	50	10	0	316
32	म0जी0स0 समितियों/सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.0620	0.2655	0.7965	0.5310	0.2655	0.6638	0.6638	0.2655	1.7523	0.2655	0.2655	1.3275	0.2655	0.0000	8.3898
33	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	8	0	2	2	0	0	2	0	3	2	1	0	0	0	20
34	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	43.272	0.000	10.818	10.818	0.000	0.000	10.818	0.000	16.227	10.818	5.409	0.000	0.000	0.000	108.1800
35	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
36	नए रिवराईन फिश फार्मिंग/ओपेन एरिया फार्मिंग का इनपुट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.30	4.30	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.9000
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	272.35900	62.25550	128.62050	122.43900	78.45900	76.15375	181.59375	93.77550	288.96380	188.41450	76.35200	45.05250	75.34800	16.90000	1706.68680
ख	विस्तृत शीर्ष–06–निर्माण–43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)															
37	कार्यालयों/ प्रक्षेत्रों के अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (सोलर लाईट आदि) (राशि लाख रू0 में)	18.000	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.000	2.100	2.000	5.000	48.000
ग	विस्तृत शीर्ष–07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय															
38	परियोजना कार्यान्वयन हेतु आकस्मिकता व्यय (राशि लाख रू0 में)	2.000	1.050	1.000	1.250	1.000	1.050	1.250	1.050	2.000	1.250	1.050	1.000	1.050	1.000	17.000
	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन का योग (वित्तीय लक्ष्य)	292.3590	65.4055	131.7205	125.7890	81.5590	79.3038	184.9438	96.9255	293.0638	191.7645	79.4020	48.1525	78.3980	22.9000	1771.68680
II	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना														
क	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार															
39	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	4	12	10	5	0	28	0	10	14	0	0	0	0	93
40	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	2.50	1.00	3.00	2.50	1.25	0.00	7.00	0.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय का योग (वित्तीय लक्ष्य)	2.50	1.00	3.00	2.50	1.25	0.00	7.00	0.00	2.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	23.25
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	294.8590	66.4055	134.7205	128.2890	82.8090	79.3038	191.9438	96.9255	295.5638	195.2645	79.4020	48.1525	78.3980	22.9000	1794.93680

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 सतरह करोड़ चौरानवे लाख तिरानवे हजार छह सौ अस्सी रु0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

15RTO(Ao)
23.06.26

परिशिष्ट – III

वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)–मुख्य शीर्ष 2405–मछली पालन–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं जीर्णोद्धार के अंतर्गत जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क0	कार्य	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	योग
		राँची	खूँटी	गुमला	सिमडेगा	लोहरदगा	लातेहार	चाईबासा	जमशेदपुर	सरायकेला	दुमका	जामताड़ा	साहेबगंज	पाकुड़	हजारीबाग	रामगढ़	कोडरमा	चतरा	बोकारो	गिरिडीह	धनबाद	गोड्डा	पलामू	गढ़वा	देवघर	
I	मुख्य शीर्ष																									
क	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना																								
1	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	15	5	40	5	5	5	10	10	15	15	10	10	20	15	5	15	10	10	10	10	20	10	10	20	300
2	विभागीय मत्स्य बीज वितरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.350	0.450	3.600	0.450	0.450	0.450	0.900	0.900	1.350	1.350	0.900	0.900	1.800	1.350	0.450	1.350	0.900	0.900	0.900	0.900	1.800	0.900	0.900	1.800	27.000
3	मत्स्य बीज उत्पादकों की संख्या का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	100	40	50	20	40	30	30	30	50	30	30	30	40	70	30	50	30	50	50	45	45	30	20	60	1000
4	मत्स्य बीज उत्पादकों को इनपुट (फॉर्मूलेटेड फीड एवं जाल) का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	4.000	1.600	2.000	0.800	1.600	1.200	1.200	1.200	2.000	1.200	1.200	1.200	1.600	2.800	1.200	2.000	1.200	2.000	2.000	1.800	1.800	1.200	0.800	2.400	40.000
5	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	2000	800	1000	400	800	600	600	600	1100	700	600	600	800	1600	700	1000	700	1000	1000	1000	900	700	500	1200	20900
6	मत्स्य बीज उत्पादकों को स्पॉन आपूर्ति का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	9.9000	3.9600	4.9500	1.9800	3.9600	2.9700	2.9700	2.9700	5.4450	3.4650	2.9700	2.9700	3.9600	7.9200	3.4650	4.9500	3.4650	4.9500	4.9500	4.9500	4.4550	3.4650	2.4750	5.9400	103.4550
7	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 करोड़ में)	2	1	1	2	1	1	1	1	4	3	2	0	1	6	5	3	2	2	3	2	3	3	2	3	54
8	जलाशय के छाड़न (in-situ) में मत्स्य स्पॉन का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.60	0.80	0.80	1.60	0.80	0.80	0.80	0.80	3.20	2.40	1.60	0.00	0.80	4.80	4.00	2.40	1.60	1.60	2.40	1.60	2.40	2.40	1.60	2.40	43.20
9	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3	1	1	0	1	0	1	0	2	1	1	0	1	3	2	2	1	2	1	2	1	1	1	2	30
10	जलाशय में मेजर कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं के संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख में)	4.50	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	3.00	1.50	1.50	0.00	1.50	4.50	3.00	3.00	1.50	3.00	1.50	3.00	1.50	1.50	1.50	3.00	45.00
11	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का भौतिक लक्ष्य (सं0 लाख में)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	12
12	जलाशय में ग्रास कार्प मत्स्य अंगुलिकाओं का संचयन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	7.50	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	30.00
13	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का भौतिक लक्ष्य (सं0 एकड़ में)	30	20	15	25	10	20	25	25	35	25	25	35	25	40	30	35	30	50	35	35	30	30	30	20	680
14	तालाबों के मत्स्य पालन से आच्छादन हेतु मत्स्य अंगुलिका के क्रय में सहायता का वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)	0.5625	0.3750	0.2813	0.4688	0.1875	0.3750	0.4688	0.4688	0.6563	0.4688	0.4688	0.6563	0.4688	0.7500	0.5625	0.6563	0.5625	0.9375	0.6563	0.6563	0.5625	0.5625	0.5625	0.3750	12.7500
15	वर्ष 2024–25 तक पुराने केजो एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS/Biofloc pond/Biofloc Tank में पगेशियस / GIFT तिलापिया / अमृत कतला / देशी मांगुर / Murrels/अन्य उपयुक्त बीजो का संचयन का भौतिक	6	0	1	1	0	0	1	0	2	0	0	0	0	6	2	3.5	1	2.1	0	1	2	3	1	3	36
16	वर्ष 2024–25 तक पुराने केजो एवं विभागीय अनुदान से अधिष्ठापित RAS//Biofloc pond/Biofloc Tank में पगेशियस / GIFT तिलापिया / अमृत कतला / देशी मांगुर / Murrels/अन्य उपयुक्त बीजो का संचयन का वित्तीय	18.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	6.00	10.50	3.00	6.30	0.00	3.00	6.00	9.00	3.00	9.00	106.80
17	म0जी0स0 समितियों / सदस्यों के लिये नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	3	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	0	0	3	2	3	0	2	0	2	0	2	2	2	24
18	म0जी0स0 समितियों / सदस्यों के लिये नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.72	1.08	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.72	0.72	8.64
19	वर्ष 2021–22 के पूर्व निर्मित केजो के लिए ग्रो–आउट नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.	0	0	15	5	10	0	6	0	0	5	0	0	8	57
20	वर्ष 2021–22 के पूर्व निर्मित केजो के लिए ग्रो–आउट नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.8120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.3975	1.1325	2.2650	0.0000	1.3590	0.0000	0.0000	1.1325	0.0000	0.0000	1.8120	12.9105
21	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	0	6
22	म0जी0स0 समितियों के लिये मोटरचालित नाव का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	3.7260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.7260	3.7260	0.0000	3.7260	0.0000	0.0000	0.0000	3.7260	3.7260	0.0000	22.3560
23	म0जी0स0 समितियों / सदस्यों के लिये गिल नेट का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	10	0	0	0	0	0	3	0	16	0	0	0	0	5	10	10	5	3	0	2	0	10	10	0	84
24	म0जी0स0 समितियों / सदस्यों के लिये गिल नेट का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	0.26550	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.07965	0.00000	0.42480	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.13275	0.26550	0.26550	0.13275	0.07965	0.00000	0.05310	0.00000	0.26550	0.26550	0.00000	2.23020
25	केज हाउस अधिष्ठापन का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	5
26	केज हाउस अधिष्ठापन का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	5.409	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.409	0.000	0.000	0.000	0.000	5.409	0.000	5.409	0.000	5.409	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	27.045
	उप योग (वित्तीय लक्ष्य)	59.70500	8.68500	16.13125	8.29875	8.49750	6.15500	10.91840	6.33875	30.70505	12.88375	8.63875	5.72625	10.12875	57.63925	27.02150	37.60175	12.36025	30.98115	14.90625	16.67935	22.15000	26.23900	15.54900	27.44700	481.38670
II	मुख्य शीर्ष																									
क	विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना																								
27	केज रिपेयरिंग का भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	5	16	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	2	0	10	0	5	0	0	0	0	0	0	43
28	केज रिपेयरिंग का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0 में)	1.25000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.00000	2.50000	0.00000	1.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.75000
	मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय का योग	1.25000	4.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.50000	0.00000	2.50000	0.00000	1.25000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.75000
	कुल योग (वित्तीय लक्ष्य)	60.95500	12.68500	16.13125	8.29875	8.49750	6.15500	10.91840	6.33875	31.95505	12.88375	8.63875	5.72625	10.12875	58.13925	27.02150	40.10175	12.36025	32.23115	14.90625	16.67935	22.15000	26.23900	15.54900	27.44700	492.13670

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(मो0 चार करोड़ बिरानवे लाख तेरह हजार छह सौ सत्तर रु0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

15 रा0(म0)
23.06.26

परिशिष्ट 'IV'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत आपूर्ति एवं सामग्री मद से मछली–सह–बत्तख पालन का जिलावार भौतिक (यूनिट में) एवं वित्तीय (लाख रु0 में) लक्ष्य

क्रम0	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन						लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						कुल	
		अनुसूचित जनजाति		अन्य		कुल				अनुसूचित जनजाति		अन्य		कुल			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	राँची	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	2.45360	6	7.36080	2	2.14690	8	9.50770	10	11.96130
2	खूँटी	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	1.22680	1	1.22680	1	1.07345	2	2.30025	3	3.52705
3	गुमला	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	1.22680	2	2.45360	1	1.07345	3	3.52705	4	4.75385
4	सिमडेगा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	3.68040	1	1.07345	4	4.75385	4	4.75385
5	लोहरदगा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	2.45360	1	1.07345	3	3.52705	3	3.52705
6	प0 सिंहभूम	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	1.22680	3	3.68040	1	1.07345	4	4.75385	5	5.98065
7	पूर्वी सिंहभूम	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	1.22680	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	4	4.60050
8	सरायकेला	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	2	2.45360	2	2.45360	3	3.22035	5	5.67395	7	8.12755
9	लातेहार	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	3.68040	2	2.14690	5	5.82730	5	5.82730
10	जामताड़ा	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	1.22680	2	2.45360	1	1.07345	3	3.52705	4	4.75385
11	पाकुड़	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	1	1.22680	2	2.45360	2	2.14690	4	4.60050	5	5.82730
12	दुमका	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	3.68040	2	2.14690	5	5.82730	5	5.82730
13	साहेबगंज	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	3.68040	2	2.14690	5	5.82730	5	5.82730
14	हजारीबाग	1	1.22680	3	3.22035	4	4.44715	2	2.45360	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	6	6.90075
15	रामगढ़	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	1	1.22680	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	4.60050
16	कोडरमा	1	1.22680	1	1.07345	2	2.30025	2	2.45360	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	4.75385
17	बोकारो	2	2.45360	1	1.07345	3	3.52705	1	1.22680	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	4.75385
18	धनबाद	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	3.37370
19	गिरिडीह	1	1.22680	1	1.07345	2	2.30025	1	1.22680	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	3	3.52705
20	देवघर	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	2	2.45360	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	5.82730
21	चतरा	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	1	1.22680	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	4.60050
22	गोड्डा	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	1	1.22680	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	4	4.60050
23	पलामू	1	1.22680	2	2.14690	3	3.37370	2	2.45360	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	5.82730
24	गढ़वा	2	2.45360	1	1.07345	3	3.52705	2	2.45360	0	0.00000	0	0.00000	0	0.00000	5	5.98065
	कुल	13	15.94840	19	20.39555	32	36.34395	25	30.67000	33	40.48440	21	22.54245	54	63.02685	111	130.04080

नोट :– कर्णांकित राशि को आवंटन नही समझा जाय।

(मो0 एक करोड़ तीस लाख चार हजार अस्सी रु0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

15 रा0 (प्र0)
23.06.26

परिशिष्ट–V

वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत फीड बेस्ड फिशरीज का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	2405–मछली पालन उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास योजना एवं जीर्णोद्धार																									
		101–अन्तर्देशीय मछली पालन									796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना							
		03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री									03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री									03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
		2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का क्रय		झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का क्रय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का क्रय		03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का क्रय		झास्कोफिश/विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का क्रय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का क्रय		03–प्रशासनिक व्यय–17–कार्यालय उपकरण का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	03–प्रशासनिक व्यय–37–विद्युत व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	07–अन्य व्यय–59–अन्य व्यय का वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	2 mm अथवा इससे छोटे फ्लोटिंग फीड का क्रय		झास्कोफिश/ विभागीय फिश फीड मिल/PMMSY अंतर्गत निर्मित फिश फीड मिल से फ्लोटिंग फीड का क्रय		2 mm से बड़े 4 mm तक के फ्लोटिंग फीड का क्रय		कुल भौतिक लक्ष्य (टन में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रू0 में)
		भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)				भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)	भौतिक लक्ष्य (टन)	वित्तीय लक्ष्य (राशि लाख रू0)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	रांची	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	100	25.000	30	7.500	200	50.000	10.000	12.000	3.000	8	2.000	4	1.000	15	3.750	357	114.250
2	खूंटी	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	35	8.750	25	6.250	45	11.250	0.000	0.000	0.000	2	0.500	2	0.500	2	0.500	111	27.750
3	गुमला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	60	15.000	25	6.250	80	20.000	0.000	0.000	0.000	3	0.750	2	0.500	2	0.500	172	43.000
4	सिमडेगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	50	12.500	10	2.500	80	20.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	3	0.750	1	0.250	146	36.500
5	लोहरदगा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	20	5.000	10	2.500	30	7.500	0.000	0.000	0.000	1	0.250	1	0.250	1	0.250	63	15.750
6	लातेहार	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	6	1.500	6	1.500	6	1.500	0.000	0.000	0.000	1	0.250	1	0.250	1	0.250	21	5.250
7	प0 सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	50	12.500	35	8.750	120	30.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	2	0.500	1	0.250	210	52.500
8	पूर्वी सिंहभूम	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	25	6.250	20	5.000	20	5.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	3	0.750	1	0.250	71	17.750
9	सरायकेला	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	114	28.500	88	22.000	400	100.000	10.000	8.000	3.000	8	2.000	25	6.250	10	2.500	645	182.250
10	दुमका	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	80	20.000	60	15.000	80	20.000	0.000	0.000	0.000	5	1.250	1	0.250	1	0.250	227	56.750
11	जामताड़ा	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	40	10.000	6	1.500	50	12.500	0.000	0.000	0.000	1	0.250	1	0.250	1	0.250	99	24.750
12	साहेबगंज	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	15	3.750	20	5.000	10	2.500	0.000	0.000	0.000	1	0.250	1	0.250	1	0.250	48	12.000
13	पाकुड़	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	12	3.000	5	1.250	15	3.750	0.000	0.000	0.000	1	0.250	1	0.250	1	0.250	35	8.750
14	हजारीबाग	125	31.250	25	6.250	321	80.250	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	8	2.000	10	2.500	15	3.750	504	126.000
15	रामगढ़	78	19.500	25	6.250	140	35.000	3.400	6.250	2.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.250	10	2.500	4	1.000	262	77.650
16	कोडरमा	75	18.750	50	12.500	140	35.000	3.300	6.250	2.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4	1.000	20	5.000	10	2.500	299	86.800
17	चतरा	30	7.500	5	1.250	25	6.250	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.750	2	0.500	4	1.000	69	17.250
18	बोकारो	100	25.000	40	10.000	80	20.000	20.000	6.250	2.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4	1.000	5	1.250	4	1.000	233	87.000
19	गिरिडीह	40	10.000	20	5.000	35	8.750	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.750	5	1.250	3	0.750	106	26.500
20	धनबाद	50	12.500	35	8.750	70	17.500	3.300	6.250	2.500	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	3	0.750	5	1.250	7	1.750	170	54.550
21	गोड्डा	50	12.500	15	3.750	60	15.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	5	1.250	10	2.500	5	1.250	145	36.250
22	पलामू	30	7.500	20	5.000	40	10.000	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4	1.000	5	1.250	3	0.750	102	25.500
23	गढ़वा	25	6.250	10	2.500	50	12.500	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	4	1.000	4	1.000	4	1.000	97	24.250
24	देवघर	75	18.750	10	2.500	50	12.500	0.000	0.000	0.000	0	0.000	0	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	2	0.500	2	0.500	2	0.500	141	35.250
	योग	678	169.500	255	63.750	1011	252.750	30.000	25.000	10.000	607	151.750	340	85.000	1136	284.000	20.000	20.000	6.000	82	20.500	125	31.250	99	24.750	4333	1194.250

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख पच्चीस हजार रू0 मात्र)

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

23.06.26

परिशिष्ट VI

वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत केज कल्चर द्वारा मछली उत्पादन एवं जलाशयों में फ्लोटिंग जेट्टी हेतु भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विवरणी

(क) जलाशयों / खदानों में केज अधिष्ठापन

(1) लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन

कम	जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
		केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हजारीबाग	15	48.3300	30.00	1	0.36	5	0.09075	78.78075
2	रामगढ़	9	28.9980	18.00	1	0.36	5	0.09075	47.44875
3	कोडरमा	5	16.1100	10.00	2	0.72	8	0.14520	26.97520
4	बोकारो	5	16.1100	10.00	1	0.36	3	0.05445	26.52445
5	धनबाद	5	16.1100	10.00	1	0.36	3	0.05445	26.52445
6	गिरिडीह	2	6.4440	4.00	1	0.36	3	0.05445	10.85845
7	गोड्डा	8	25.7760	16.00	1	0.36	3	0.05445	42.19045
8	पलामू	5	16.1100	10.00	1	0.36	3	0.05445	26.52445
9	गढ़वा	3	9.6660	6.00	1	0.36	5	0.09075	16.11675
10	देवघर	5	16.1100	10.00	1	0.36	3	0.05445	26.52445
	उप योग:	**62**	**199.7640**	**124.00**	**11**	**3.960**	**41**	**0.74415**	**328.46815**

(2) लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

कम	जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
		केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पलामू	2	6.4440	4.00	1	0.36	2	0.0363	10.8403
2	राँची	6	19.3320	12.00	1	0.36	3	0.0545	31.7465
3	गढ़वा	2	6.4440	4.00	1	0.36	2	0.0363	10.8403
4	सरायकेला	2	6.4440	4.00	1	0.36	2	0.0363	10.8403
5	रामगढ़	5	16.1100	10.00	1	0.36	3	0.0545	26.5245
6	कोडरमा	3	9.6660	6.00	1	0.36	3	0.0545	16.0805
7	बोकारो	1	3.2220	2.00	1	0.36	2	0.0363	5.6183
8	चतरा	2	6.4440	4.00	1	0.36	2	0.0363	10.8403
9	गोड्डा	4	12.8880	8.00	1	0.36	2	0.0363	21.2843
	उप योग:	**27**	**86.9940**	**54.00**	**9**	**3.240**	**21**	**0.38115**	**144.61515**

(3) लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना

कम	जिला का नाम	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री							
		केज बैटरी अधिष्ठापन		केज बैटरी हेतु इनपुट	सामान्य नाव		लाईफ जैकेट		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	15	48.3300	30.00	2	0.72	6	0.1089	79.1589
2	सिमडेगा	8	25.7760	16.00	1	0.36	4	0.0726	42.2086
3	लातेहार	2	6.4440	4.00	1	0.36	2	0.0363	10.8403
4	चाईबासा	2	6.4440	4.00	1	0.36	3	0.0545	10.8585
5	सरायकेला	6	19.3320	12.00	1	0.36	3	0.0545	31.7465
6	दुमका	10	32.2200	20.00	1	0.36	3	0.0545	52.6345
7	पाकुड़	5	16.1100	10.00	1	0.36	2	0.0363	26.5063
	उप योग:	**48**	**154.6560**	**96.00**	**8**	**2.880**	**23**	**0.41745**	**253.95345**
	योग (क):	**137**	**441.4140**	**274.00**	**28**	**10.08**	**85**	**1.54275**	**727.03675**

(ख) जलाशयों में फ्लोटिंग जेट्टी (Floating Jetty) अधिष्ठापन

(1) लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन

कम	जिला का नाम	जलाशय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		
			फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6
1	हजारीबाग	जलाशय	1	14.36	14.3600
		उप योग:	**1**	**14.36**	**14.3600**

(2) लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना

कम	जिला का नाम	जलाशय	विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री		
			फ्लोटिंग जेट्टी अधिष्ठापन		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
			भौतिक लक्ष्य (सं0 में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	
1	2	3	4	5	6
1	राँची	जलाशय	1	14.36	14.3600
		उप योग:	**1**	**14.36**	**14.3600**
		योग (ख):	**2**	**28.72**	**28.7200**
		कुल योग (क) + (ख):			**755.75675**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(क) + (ख) कुल मो0 सात करोड़ पचपन लाख पचहत्तर हजार छह सौ पचहत्तर रु0 मात्र।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

परिशिष्ट VII

वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत् परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना में जलाशयों के केजों के रिमॉडलिंग का भौतिक (केज बैटरी) एवं वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में) की विवरणी

कम	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन		लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना		कुल भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (केज बैटरी)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
		विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–44–जीर्णोद्धार							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	0	0.0000	2	3.2850	8	13.1400	**10**	**16.4250**
2	खूंटी	0	0.0000	9	14.7825	1	1.6425	**10**	**16.4250**
3	गुमला	0	0.0000	0	0.0000	4	6.5700	**4**	**6.5700**
4	लोहरदगा	0	0.0000	0	0.0000	3	4.9275	**3**	**4.9275**
5	पश्चिमी सिंहभूम	0	0.0000	0	0.0000	2	3.2850	**2**	**3.2850**
6	सरायकेला	0	0.0000	2	3.2850	8	13.1400	**10**	**16.4250**
7	हजारीबाग	6	9.8550	2	3.2850	0	0.0000	**8**	**13.1400**
8	रामगढ़	8	13.1400	0	0.0000	0	0.0000	**8**	**13.1400**
9	बोकारो	5	8.2125	2	3.2850	0	0.0000	**7**	**11.4975**
10	देवघर	5	8.2125	0	0.0000	0	0.0000	**5**	**8.2125**
11	दुमका	0	0.0000	0	0.0000	12	19.7100	**12**	**19.7100**
	कुल	**24**	**39.4200**	**17**	**27.9225**	**38**	**62.4150**	**79**	**129.7575**

(कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाए।)

(मो0 एक करोड़ उनतीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ पचास रु0 मात्र)।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव

15 ग्रा0 (पी0)
23.06.26

परिशिष्ट 'VIII'

वित्तीय वर्ष 2026–27 में माँग संख्या–53–कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) अंतर्गत तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना के अंतर्गत बायोफ्लॉक तालाब निर्माण (इनपुट सहित) का जिलावार भौतिक (यूनिट में) एवं वित्तीय (लाख रु0 में) लक्ष्य

क्रम0	जिला का नाम	लघु शीर्ष–101–अन्तर्देशीय मछली पालन									लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना			लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना									तालाब निर्माण (इनपुट सहित) कुल भौतिक लक्ष्य (यूनिट में)	कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)
		भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य (निर्माण + इनपुट)						भौतिक	वित्तीय लक्ष्य (निर्माण + इनपुट)		भौतिक लक्ष्य			वित्तीय लक्ष्य (निर्माण + इनपुट)							
					मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य			मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री				मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य	मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री				मुख्य शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय–उप शीर्ष–72–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण–45–निर्माण कार्य			मुख्य शीर्ष–2405–मछली पालन–उप शीर्ष–06–तालाब तथा जलाशय मत्स्य का विकास एवं जीर्णोद्धार योजना–विस्तृत शीर्ष–03–प्रशासनिक व्यय–23–आपूर्ति एवं सामग्री				
		अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल	अनुसूचित जनजाति	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	राँची	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	16.00	6.40	5	3	8	40.00	21.00	61.00	16.00	8.40	24.40	10	107.80
2	खूँटी	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	3.20	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	3	32.20
3	गुमला	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	3.20	2	1	3	16.00	7.00	23.00	6.40	2.80	9.20	4	43.40
4	सिमडेगा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3	1	4	24.00	7.00	31.00	9.60	2.80	12.40	4	43.40
5	लोहरदगा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	3.20	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	3	32.20
6	प0 सिंहभूम	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	1	3	16.00	7.00	23.00	6.40	2.80	9.20	3	32.20
7	पूर्वी सिंहभूम	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	2	3	8.00	14.00	22.00	3.20	5.60	8.80	3	30.80
8	सरायकेला	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3	0	3	24.00	0.00	24.00	9.60	0.00	9.60	3	33.60
9	लातेहार	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	3	1	4	24.00	7.00	31.00	9.60	2.80	12.40	4	43.40
10	जामताड़ा	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	2	3	8.00	14.00	22.00	3.20	5.60	8.80	3	30.80
11	पाकुड़	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	3.20	3	0	3	24.00	0.00	24.00	9.60	0.00	9.60	4	44.80
12	दुमका	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1	8.00	3.20	4	1	5	32.00	7.00	39.00	12.80	2.80	15.60	6	65.80
13	साहेबगंज	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	1	3	16.00	7.00	23.00	6.40	2.80	9.20	3	32.20
14	हजारीबाग	2	2	4	16.00	14.00	30.00	6.40	5.60	12.00	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6	64.40
15	रामगढ़	2	3	5	16.00	21.00	37.00	6.40	8.40	14.80	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	51.80
16	कोडरमा	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	1	8.00	3.20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	32.20
17	बोकारो	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	43.40
18	धनबाद	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	43.40
19	गिरिडीह	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	1	8.00	3.20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3	32.20
20	देवघर	1	2	3	8.00	14.00	22.00	3.20	5.60	8.80	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	53.20
21	चतरा	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	43.40
22	गोड्डा	1	3	4	8.00	21.00	29.00	3.20	8.40	11.60	1	8.00	3.20	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5	51.80
23	पलामू	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	43.40
24	गढ़वा	1	1	2	8.00	7.00	15.00	3.20	2.80	6.00	2	16.00	6.40	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4	43.40
	कुल	13	17	30	104.00	119.00	223.00	41.60	47.60	89.20	24	192.00	76.80	31	15	46	248.00	105.00	353.00	99.20	42.00	141.20	100	1075.20

(मो0 दस करोड़ पचहत्तर लाख बीस हजार रु0 मात्र)

नोट – कर्णांकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अबुबक्कर सिद्दीख पी0)
सरकार के सचिव